

दिनांक 01.08.2026

पुकार करायी गयी।

2. परिवादी आनन्द सिंह मय विद्वान अधिवक्ता श्री ए० के० डिमरी न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये।
3. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जे० पी० पुरोहित न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र का० सं० 50ख प्रस्तुत किया गया। सुना। जो न्यायालय द्वारा आज के लिए स्वीकार किया गया।
4. पत्रावली पर आज की कार्यवाही शेष परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र के हाशिये पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि मामले में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। अतः परिवादी का साक्ष्य का अवसर समाप्त की जाता है।
5. पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा-351 बी०एन०एस०एस०/480 बी० एन० एस०एस० दिनांक 21.08.2026 को पेश हो।

(नदीम अहमद)
सिविल जज (सी०डि०)ए०सी०जे०एम०,
कर्णप्रयाग, जिला चमोली।